राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

14 नवम्बर, 2019

पीएमएवाई-सीएलएसएस के कार्यान्वयन हेतु रा.आ.बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के संबंध में

महोदया / महोदय,

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना – ऋण आधारित सब्सिडी योजना (पीएमएवाई-सीएलएसएस) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान पीएमएवाई-सीएलएसएस के तहत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु उधारकर्ताओं की पात्रता निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

योजना के तहत पात्रता मानदंड में से एक यह है कि गृह संपत्ति जिसके संबंध में सब्सिडी का दावा किया गया है, को सांविधिक कस्बों / अधिसूचित योजना क्षेत्रों में स्थित होना चाहिए। सांविधिक कस्बों / योजना क्षेत्रों की सूची आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हाल ही में, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को कुछ मामलों में शिकायतें प्राप्त हुईं कि प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा उन संपत्तियों के लिए सब्सिडी का दावा किया जा रहा है जो सांविधिक कस्बों / अधिसूचित योजना क्षेत्र में स्थित नहीं हैं।

इसलिये, यह सूचित किया जाता है कि पीएलआई पूर्ण रूप से पत्र में उल्लिखित योजना दिशानिर्देशों का पालन करें और समुचित सावधानी बरतने के बाद, पात्रता संबंधी सब्सिडी दावों को अपलोड करने से पहले, प्रासंगिक रिकॉर्ड से कस्बों / शहरी क्षेत्र के क्षेत्र और क्षेत्र कोड के साथ पीएमएवाई-सीएलएसएस हेतु आवेदकों की पात्रता की पूरी तरह से जांच करें।

-ह-

क्षेत्रीय प्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई.मेल : ho@nhb.org.in

Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"